

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 799 / 15

संस्थापन दिनांक:-21 / 12 / 15

फाईलिंग नं. 233504002782015

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

राधिका पति तुलसीराम पाटिल

उम्र 45 वर्ष, निवासी जैतापुर,

थाना बैतूल बाजार, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 30.01.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 21.10.2015 को समय दोपहर करीब 01:10 बजे ग्राम बागदा आमला जिला बैतूल स्थित फरियादी के खेत पर लोक स्थान के समीप फरियादी मालतीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं आहत मालतीबाई को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 21.10.2015 दोपहर के समय अपने खेत में जेसीबी से खेत प्लेन करा रही थी तभी अभियुक्त भैंस चराते हुए आयी और उसे गंदी गंदी गालियां दी जो सुनने में उसे बुरी लगी। उसने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसे छिनाल तुझे मैं जेसीबी चलवाती हूं कहकर लकड़ी से उसके सिर एवं दांहिने हाथ की हथेली में मारा जिससे उसे चोट आयी। अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क. 567/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र जारी किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान के समीप फरियादी मालतीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर आहत मालतीबाई को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

**विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का निराकरण**

5 मालती (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्त ने घटना के समय छिनाल की गंदी गंदी गालियां दी थी जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी/फरियादी मालती (अ.सा.-1) ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं वे शब्द ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र क्रोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरुद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्त एवं फरियादी के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः अभियुक्तगण के विरुद्ध

धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### **विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण**

8 मालती (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे सिर पर लकड़ी से मारा था जिससे उसे सिर एवं दोनों हाथ की हथेली पर चोट आयी थी। सुरेंद्र (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसकी पत्नी मालती के साथ लकड़ी से मारपीट की थी जिससे उसके सिर में चोट आयी थी। श्वेता (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि अभियुक्त ने लकड़ी से उसकी मां के सिर पर मारा था जिससे उसकी मां के सिर से खून निकला था। धीरज (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त राधिका ने फरियादी मालती के सिर पर मार दिया था जिससे उसके सिर पर चोट आयी थी।

9 डॉ. मनीष (अ.सा.-6) ने दिनांक 21.10.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत मालती का परीक्षण किये जाने पर आहत के सिर दांये भाग पर पैराइटल साईड पर 1 गुणा 1 सेमी. आकार की कटी हुई चमड़ी एवं दांये हाथ पर हथेली पर 2 गुणा 2 सेमी. आकार का ललिमा का निशान एवं सूजन पायी थी। साक्षी ने आहत को आयी चोट ठोस एवं बोथरे हथियार से आना संभव बताते हुए उसके द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-6) पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी एवं मालती (अ.सा.-1), सुरेंद्र (अ.सा.-2), श्वेता (अ.सा.-3) एवं धीरज (अ.सा.-4) के कथनों से फरियादी को चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 डी.एस. पठारिया (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 14.11.2015 को थाना आमला में एसआई के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 567/15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) एवं अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र (प्रदर्श प्री-3) दिया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है। साथ ही उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश है जिसके कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने युक्तियुक्त संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में मालती (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह अपने खेत को जेसीबी मशीन से प्लेन करवा रही थी तभी अभियुक्त राधिका आयी और जेसीबी मशीन पर चढ़ गयी तथा हसिए से मशीन को ठोकने लगी। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि उसने अभियुक्त राधिका का खींच कर नीचे किया तो अभियुक्त ने उसे लकड़ी से मारपीट की। मारपीट हो जाने के बाद उसके पति सुरेंद्र मौके पर आये थे तथा घटना उसकी बेटी सोनू ने देखी थी।

13 सुरेंद्र (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय बाहर था। जब वह वापस आया तो उसकी पत्नी ने बताया था कि अभियुक्त राधिका ने उसके साथ मारपीट की थी। श्वेता (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि घटना के समय वह और उसकी मां जेसीबी मशीन से खेत की लेबलिंग करवा रहे थे तभी अभियुक्त राधिका कहने लगी के यह मेरे हिस्से की जमीन है मैं लेबलिंग नहीं करवाने दूंगी। इसी बात पर से विवाद बढ़ता गया और अभियुक्त राधिका ने उसकी मां के सिर पर लकड़ी मार दी। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त राधिका ने बैल और ढोर उनके पीछे छोड़ दिये थे परंतु ढोर और बैल उन्हीं के पीछे पड़ गये तथा अभियुक्त राधिका और उसकी दोनों बेटियां गिरने पड़ते भाग गये। धीरज (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि घटना के समय फरियादी जेसीबी मशीन से लेबलिंग का काम करवा रही थी तभी अभियुक्त राधिका मशीन के पास आकर खड़ी हो गयी और काम करने से मना करने लगी। साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त राधिका हसिए से मशीन के टायरों पर मारने लगी तब फरियादी मालती ने हसिया उससे छुड़ाकर फेंक दिया तभी अभियुक्त राधिका ने वहां पर पड़ा हुआ डंड उठाया और फरियादी के सिर पर मार दिया।

14 मालती (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह गलत होना बताया है कि वह जेसीबी मशीन से अभियुक्त राधिका के खेत के सागौन के पेड़ उखड़वा रही थी जिसे मना करने के लिए अभियुक्त राधिका उसके पास आयी थी तथा इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने और उसके पति ने अभियुक्त और उसकी बेटियों के साथ मारपीट की थी। स्वतः मैं उक्त साक्षी ने कहा है कि उसका पति घटना के समय था ही नहीं बाद में आया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि उसका अभियुक्त के साथ जमीन के

बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है तथा राधिका के पास तीन एकड़ ज्यादा जमीन है जिसे वह लेना चाहती है। सुरेंद्र (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना की जानकारी उसकी पत्नी मालती ने थाने में रिपोर्ट करने के बाद दी थी तथा पैरा क्र. 03 में साक्षी ने अभियुक्त के साथ जमीनी विवाद होना स्वीकार किया है।

15 श्वेता (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 03 में यह बताया है कि अभियुक्त राधिका ने यह कहा था कि हमारे हिस्से की जमीन पर जेसीबी मत चलाओ तथा पैरा क्र. 04 में साक्षी ने यह गलत बताया है कि उसकी मां ने अभियुक्त राधिका को जेसीबी मशीन से पकड़कर नीचे खींच दिया था तथा पैरा क्र. 05 में साक्षी ने अभियुक्त से घटना के पूर्व से विवाद होना बताया है। धीरज (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त राधिका को मालती ने पकड़कर नहीं खींचा था और न ही दोनों के बीच में छिना झपटी हुई थी।

16 बचाव अधिवक्ता के द्वारा बचाव में बचाव साक्षी अंकिता पाटिल (ब.सा.-1), निकिता पाटिल (ब.सा.-2) एवं स्वयं अभियुक्त राधिका (ब.सा.-3) को परीक्षित कराया गया है। उपर्युक्त बचाव साक्षीगण ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में घटना दिनांक को फरियादी द्वारा जेसीबी मशीन से उनके खेत के सागौन के पेड़ एवं तुअर की फसल उखाड़ दिया जाना बताया है तथा फरियादी द्वारा जेसीबी मशीन चलाये जाने से एवं खेत की नुकसानी करने से मना करने पर फरियादी मालती के द्वारा मारपीट करना बताया है जिससे राधिका का हाथ, सिर पैर में चोटें आना बताया था तथा अभियुक्त राधिका की बेटियां अंकिता और निकिता के द्वारा बीच बचाव करने पर फरियादी द्वारा उन्हें भी मारपीट किया जाना बताया है तथा साक्षीगण ने यह भी बताया है कि इसी विवाद के दौरान फरियादी मालतीबाई पत्थरों की मेड़ पर गिर गयी थी जिससे उसे चोट आ गयी थी। साक्षीगण ने घटना की रिपोर्ट थाने में किया जाना बताया है परंतु लेखबद्ध न किये जाने पर एसपी को शिकायत की जाना बताया है और राधिका की एमएलसी होना भी बताया है। साथ ही समर्थन में बचाव पक्ष के द्वारा पुलिस अधीक्षक बैतूल को की गयी शिकायत (प्रदर्श डी-1) राधिका की एमएलसी (प्रदर्श डी-2) एवं जिस खेत पर विवाद हुआ उसकी किशतबंदी एवं खसरा (प्रदर्श डी-4) एवं (प्रदर्श डी-5) प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने फरियादी मालती के द्वारा जेसीबी मशीन से उनके खेत के पेड़ उखाड़ने से मना किये जाने पर अभियुक्त राधिका की मारपीट करना बताया है परंतु उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित नहीं हो रहा है कि फरियादी मालती के द्वारा अभियुक्त राधिका के खेत के सागौन के पेड़ उखाड़े गये हों या प्रयास किया गया है। साथ ही किसी स्वतंत्र साक्षी को बचाव पक्ष के द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है।

17 एसपी को की गयी रिपोर्ट (प्रदर्श डी-1) के अवलोकन से रिपोर्ट दिनांक 26.10.2015 को की जाना एवं उक्त दिनांक को ही अभियुक्त राधिका की एमएलसी होना लेख है। जबकि अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 21.10.2015 की है। साथ ही (प्रदर्श डी-5) जो कि घटना स्थल का खसरा है उसमें कैफियत के कॉलम में सागौन के पेड़ होना लेख है। तब ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि फरियादी मालतीबाई के द्वारा अभियुक्त राधिका के खेत के सागौन के पेड़ काटे गये। अतः बचाव पक्ष को उपर्युक्त दस्तावेजों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

18 अभियोजन कथा अनुसार घटना के समय फरियादी जेसीबी मशीन ने अपने खेत को प्लेन करवा रही थी तभी अभियुक्त राधिका भैंस चराते हुए आयी और फरियादी के साथ गाली गलौच करने लगी तथा उसी समस हाथ में रखी लकड़ी से उसके सिर पर मार दिया जिससे उसे चोट आयी। अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 21.10.2015 की दिन के 01 बजे की है तथा घटना की रिपोर्ट थाने में 03:30 बजे की गयी। चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-4) के अवलोकन से दर्शित है कि साक्षी/फरियादी का चिकित्सकीय दिनांक 21.10.2015 को 03:30 बजे किया गया। इस प्रकार फरियादी के द्वारा घटना क रिपोर्ट लेख कराये जाने का समय 03:30 बजे का होना और चिकित्सकीय रिपोर्ट में परीक्षण का समय भी 03:30 होना असंभव प्रतीत होता है। साथ ही चिकित्सक साक्षी डॉ. मनीष (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में अपने अभिमत में यह प्रकट किया है कि आहत को आयी चोट परीक्षण से दो घंटे भीतर की थी। जबकि आहत का परीक्षण घटना के लगभग ढाई घंटे बाद हुआ है। तब ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आहत को चोट आने की संपुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से नहीं होती है। साक्षी ही साक्षीगण के कथनों से यह भी प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त राधिका एवं फरियादी मालती के बीच में विवाद एवं खींचातानी हो रही थी जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आहत को आयी चोट गिरने से आयी होगी। साथ ही चिकित्सक साक्षी ने भी आहत को आयी चोट गिरने से आना संभावित बताया है। साथ ही उभयपक्ष के मध्य में जमीनी रंजिश होने का तथ्य स्थापित है। तब ऐसी स्थिति में जहां बचाव पक्ष भी विवाद के दौरान अपने साथ मारपीट किये जाने की बात बता रहा है। तब उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाने के कारण संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

#### **विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण**

19 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त

ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान के समीप फरियादी मालतीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं आहत मालतीबाई को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त राधिका को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

20 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)